



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी रिकू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 30,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा।



अवगत कराना है कि अभियुक्त रिकू पुत्र स्व० सुनील निवासी मौहल्ला पुरानी तहसील कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में एक युवती की चाकू से वार कर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं०- 136/2022 धारा 302/506 भादवि व 3(2)/5/3(1)द एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2025 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिकू को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 30,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री इन्द्रपाल
एडीजीसी



है०का० रविन्द्र
कोर्ट पैरोकार

विवेक- क्षेत्राधिकारी श्री अनुज मिश्रा

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 02.06.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-दिनेश पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम तूगाना थाना छपरौली जनपद बागपत
- 2-रविन्द्र तोमर पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना छपरौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)
- 2-थाना बडौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 02.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने शराब तस्क़र एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 32 फ़ुटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्क़र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 32 फ़ुटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 338/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यशवीर उर्फ पप्पू पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 32 फ़ुटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 02.06.2025

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

थाना बालैनी पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त वरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वरुण कुमार पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी बागपत ।
- 3-हो0गा0 776 सत्यवीर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 02.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 6000 रुपये नगद व 04 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

दिनांक 29.05.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी 829 ग्राउण्ड फ्लोर बेव सिटी सेक्टर-2 गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की स दुकान से 12000/- कैश, 14 बोतल अंग्रेजी शराब व वादी की बराबर वाली देशी शराब की दुकान से 42000/- कैश तथा POS machine चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को



गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 6000 रुपये नगद व 04 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 150/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-बबलू पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-सुशील पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी हुए 6000 रुपये (अभियुक्त बबलू से बरामद 2800रु0 व अभि0 सुशील से बरामद 3200 रु0)
- 04 बोतल अंग्रेजी शराब मार्का BAGPIPER SUPERIOR WHISKY

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्रोई थाना रमाला जनपद बागपत

3-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 02.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 16 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 16 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र इलियास निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 16 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला बागपत

2-है0का0 119 योगेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत

